सड़क व चौराहों पर रहने वाले बच्चों की स्थिति

एक प्रारम्भिक अध्ययन

लेखन व विश्लेषण

विजय गोयल

अध्ययनकर्ता

राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान

जयपुर, राजस्थान

सहयोग

एक्शन एड् इण्डिया, राजस्थान

2001 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 12.26 मिलियन (1 करोड़ 26 लाख 60 हजार) बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत है। गैर–सरकारी संगठन के आधार पर बाल श्रमिकों का आंकड़ा 60 मिलियन से 10 मिलियन (6–10 करोड़) तक बताते है। राजस्थान देश का तीसरा सबसे बढ़ा राज्य है जहां सबसे अधिक बाल श्रमिक है। 2006 में एन.एस.एस.ओ. ने अपने अपने अध्ययन के दौरान बताया कि राजस्थान में कुल 34 लाख बाल श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे है। जबकि राजस्थान सरकार के अनुसार 12 लाख बच्चे ऐसे है जो शिक्षा से दूर है। इनमें बड़ी संख्या में बच्चे सड़कों चौराहों गलियों में या तो कचरा आदि बीनते हुए मिल जाते है अथवा भीख मॉगते हुए। आज तक ना सरकार कि ओर से अथवा किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से सड़कों चौराहों गलियों में या तो कचरा आदि बीनते अथवा भीख मॉगते इन बच्चों पर किसी प्रकार का अध्ययन सामने नहीं आया है।

एक्शन एड के सहयोग से अल्लारिपु खिलती कलियॉ अभियान के माध्यम से जयपुर व कोटा शहर में सड़कों चौराहों गलियों में कचरा आदि बीनते अथवा भीख मॉगते हुए बच्चों व उनके परिवारों का प्रारम्भिक सर्वे किया गया।

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन को करने के पीछे मूल उद्देश्य निम्न प्रकार थे।

- सर्व प्रथम यह कि सड़कों चौराहों गलियों में या तो कचरा आदि बीनते अथवा भीख मॉगते हुए किस प्रदेश से आये हैं।
- इन बच्चों व इनके परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है।
- इन बच्चों की भोजन, शिक्षा स्वास्थ्य आदि की स्थिति किस प्रकार की है।

अध्ययन का क्षेत्र

जयपुर शहर में यह प्रारम्भिक अध्ययन शहर के 7 व्यस्तम चौराहों यथा– रामबाग चौराहा, राजमहल चौराहा, नारायण सिंह चौराहा, बिरला मंदिर, जय क्लब, ओ.टी.एस. व लक्ष्मी मन्दिर पर, पुलिया के नीचे रहने वाले परिवारों यथा 22 गौदाम पुलिया व मालवीय नगर पुलिया तथा विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल एरिया नम्बर–6 की कच्ची बस्ती को शामिल किया गया। इन सभी जगहों से 48 परिवारों व बच्चों को अध्ययन में शामिल किया गया।

अध्ययन की विद्या

इस प्रारम्भिक अध्ययन को करने के प्रश्नावली के माध्यम से सर्वेकर्ता द्वारा जानकारी एकत्रित की गई साथ परिवार के सदस्य व बच्चों के साथ चर्चा की गई।

अध्ययन का सार

इस प्रारम्भिक अध्ययन में शामिल 48 परिवारों में 18 बच्चों व 30 परिवारों के साथ किये गये साक्षात्कार के दौरान मुख्य निष्कर्ष निम्न प्रकार है।

- इन 48 परिवारों में से 81 प्रतिशत (23 परिवार व 16 बच्चे) परिवार राजस्थान के दो जिलों भीलवाड़ा व अजमेर के ग्रामीण अंचल के थे। 19 प्रतिशत (7 परिवार व 2 बच्चे) बिहार राज्य के कूच बिहार इलाके के थे।
- अध्ययन में शामिल 30 परिवारों के साथ 78 बच्चे रहते हैं जिनमें से 18 बच्चे 5 साल से कम आयु वर्ग 26 बच्चे 6 से 10 साल के, 21 बच्चे 11 से 14 साल के तथा 13 बच्चे 15 से 18 साल के है। जिन 18 बच्चों को सर्वे में शामिल किया गया है उनमें से 5 बच्चे 10 साल से कम, 11 बच्चे 11 से 14 साल के तथा 2 बच्चे 15 साल से अधिक आयु वर्ग से हैं।
- जिन 18 बच्चों को अध्ययन में शामिल किया हैं उनमें से 15 बच्चे अपने परिवार के साथ जयपुर शहर में रहते है तीन बच्चे अपने रिश्तेदार के पास रहते है। इनमें से 8 बच्चे कचरा बीनने हुए, 6 बच्चे भीख मांगते हुए तथा 4 बच्चे बूट पालिस करते हुए पाये गये।
- इन 30 परिवारों में 80 प्रतिशत (24 परिवार) पिछले 10 वर्ष से अधिक समय से इन स्थानों पर आकर भीख मांगने व कचरा बीनने का काम कर रहे हैं।
- राजस्थान के 28 परिवारों में पाया गया कि यह परिवार बारीश व फसल बुवाई के समय अपने गॉव चले जाते है। कुछ परिवार वाले अपने बच्चों सहीत जाते है तो कुछ परिवारों में स्त्री व पुरूष चले जाते है बुजुर्ग व बच्चे यहां ही रूक जाते है। विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल एरिया नम्बर–6 की कच्ची बस्ती में रहने वाले 11 परिवार स्थाई रूप से वहीं निवास करते हैं। ये परिवार यहॉ पर कचरा बीनने व मजदुरी का काम करते है।
- रामबाग चौराहा, राजमहल चौराहा, नारायण सिंह चौराहा, पर भीख मॉगते परिवार 22 गौदाम पुलिया के नीचे निवास करते हैं।
- अध्ययन में शामिल 48 परिवारों के बच्चों में 88 बच्चों में 80 प्रतिशत (70 बच्चों) बच्चों जर्दा व गुटका खाने की आदत है। कुछ बच्चे बिड़ी– सिगरेट का नशा भी करते है।
- 80 प्रतिशत परिवारों में बच्चों को किसी न किसी प्रकार का चर्म रोग है।

अध्ययन का विश्लेषण

इस प्रारम्भिक अध्ययन में शामिल 30 परिवारों व उनके 78 बच्चों तथा 18 बच्चे जो अपने परिवार से अलग अन्य स्थान पर कचरा बीनते, भीख मांगते व बूट पालीस करते हुए पाये गये। यह अध्ययन 7 चौराहों, 2 पुलियाओं व विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल एरिया नम्बर–6 में किया गया था।

विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल एरिया नम्बर–6 में सर्वाधिक 7 परिवारों तथा 11 बच्चों को अध्ययन में शामिल किया गया इसका मुख्य कारण इस एरिया में अधिकांश परिवार स्थाई रूप से यहां ही रहते हैं। वहीं अन्य स्थानों पर रहने वाले अधिंकाश परिवार बारीश के दौरान अपने–अपने गॉव चले गये। वहा रहने वाले अन्य परिवार से जानकारी मिली की जिन परिवारों के पास थोडी बहुत भी कृषि भूमि है वह खेती करने चला गया है तथा कुछ खेतों में मजदुरी की आस में अपने गॉव चले गये है जो कि दिपावली के उपरान्त वापस आंएगे।

सारणी–1 अध्ययन का क्षेत्र व परिवार एवं बच्चों की संख्या

क्रम सं.	स्थान	अध्ययन में शामिल परिवार		अध्ययन में शामिल बच्चे
		परिवारों की संख्या	बच्चों की संख्या	
1.	*रामबाग चौराहा*	*2*	*5*	*1*
2.	*राजमहल चौराहा*	*2*	*5*	*0*
3.	*नारायण सिंह चौराहा*	*2*	*5*	*0*
4.	*बिरला मंदिर चौराहा*	*2*	*6*	*0*
5.	*जय क्लब चौराहा*	*2*	*6*	*1*
6.	*ओ.टी.एस चौराहा*	*2*	*6*	*1*
7.	*लक्ष्मी मन्दिर चौराहा*	*3*	*7*	*2*
8.	*22 गौदाम पुलिया*	*5*	*11*	*0*
9.	*मालवीय नगर पुलिया*	*3*	*8*	*2*
10.	*विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल एरिया नम्बर–6*	*7*	*19*	*11*
	योग	**30**	**78**	**18**

स्रोत–फिल्ड सर्वे

धर्म एवं जाति

अध्ययन में शामिल 30 परिवार व 18 बच्चों में 73 प्रतिशत हिन्दु धर्म से बाकि 27 प्रतिशत मुस्लिम है। मुस्लिम परिवार मुख्य रूप से विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल एरिया नम्बर–6 में, ओ.टी.एस चौराहा व मालवीय नगर पुलिया के नीचे रह रहें है। हिन्दु धर्म के 60 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति से हैं इनमें भी यह मुख्य रूप से 'नट' जाति व 'बावरिया' जाति से है। अनुसूचित जनजाति के सभी परिवार 'भील' जाति से है। मुस्लिम धर्म से सम्बध 8 परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग से है यह सभी कसाई व भिश्ती है।

देखें सारणी–2

सारणी–2 परिवारों की धर्म व जाति

		परिवार	बच्चे
धर्म	हिन्दु	22 **(73%)**	13 **(72%)**
	मुस्लिम	8 **(27%)**	5 **(28%)**
	योग	**30**	**18**
जाति	अनुसूचित जाति	18 **(60%)**	9 **(50%)**
	अनुसूचित जनजाति	7 **(23%)**	4 **(22%)**
	अन्य पिछड़ा वर्ग	5 **(17%)**	5 **(28%)**
	योग	**30**	**18**

स्रोत–फिल्ड सर्वे

कहां के रहने वाले है ?

अध्ययन में शामिल इन 48 परिवारों (30 परिवार व 18 बच्चे) में से 81 प्रतिशत (39 परिवार) परिवार राजस्थान के दो जिलों भीलवाड़ा में माडल व व अजमेर में अराई भिनाय व पिसांगन पंचायत समिति के ग्रामीण अंचल के थे। 19 प्रतिशत (9 परिवार) बिहार राज्य के कूच बिहार इलाके के थे।

जयपुर में कब से रहे हो ?

अध्ययन में शामिल 30 परिवारों में 80 प्रतिशत (24 परिवार) पिछले 15 वर्ष से अधिक समय से इन स्थानों पर आकर भीख मांगने व कचरा बीनने का काम कर रहे हैं। 20 प्रतिशत (6 परिवार) परिवारों ने बताया कि वह 8 से 11 साल से जयपुर में रह रहें है। जिन 18 बच्चों से बात की उनमें से 16 बच्चों का कहना था कि वह यंहा के ही रहने वाले है तथा उनका जन्म यहां ही हुआ हैं। दो बच्चों ने बताया कि वह बिहार के रहने वाले है परन्तु जगह नहीं मालुम है।

वर्तमान जगह पर कब से रह रहे हो ?

22 गोदाम पुलिया के नीचे रहने वाले सभी 5 परिवार पिछले 15 सालों से इसी पुलिया के नीचे रह रहे हैं कई बार सरकार ने इन्हें यहां से हटाया है परन्तु हमें कहीं भी स्थाई रूप से नहीं बसाया इसलिए हमें बार–बार यहां आकर रहना पडता है। मालवीया नगर पुलिया के नीचे रहने वाले 3 परिवारों ने बताया कि वह पहले 22 गोदाम पुलिया के नीचे रहते थे 5–6 साल से यहां रह रहें है। विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल एरिया नम्बर–6 में नाले के किनारे रहने वाले सभी परीवारों को रहते हुए 10 साल से अधिक हो गया है। यहां अध्ययन में शामिल 7 परिवारों में से 6 परिवार बिहार जिले के कूच बिहार इलाके के रहने वाले है। एक परिवार अजमेर जिले के भिनाय पंचायत समिति का हैं। रामबाग चौराहा, राजमहल चौराहा, नारायण सिंह चौराहा भीख मॉगते 6 परिवार भी 22 गौदाम पुलिया के नीचे रहते हैं। बिरला मंदिर के पास भीख मागतें व सामान बेचते दोनों परीवार स्थाई रूप से कंही नहीं रहते है कभी–कभी वह जय क्लब के पास चले जाते हैं तो कभी वह जवाहर नगर कच्ची बस्ती में चले जाते है। जय क्लब व ओ.टी.एस के पास सामान बेचते व भीख मॉगते परिवार बारीश के समय में यहॉ से चले जाते हैं बाकी समय वह यहॉ ही सड़क पर रहते हैं। लक्ष्मी मन्दिर के पास रहने वाले मुख्य रूप से कचरा बीनने का काम करते हैं।

अपना मूल निवास स्थान छोडने का कारण तथा वहॉ क्या काम करते थे ?

अध्ययन में शामिल सभी 30 परिवारों का मूल निवास स्थान छोड़ने का प्रमुख कारण रोजगार के साधन का अभाव रहा है। मुख्य रूप से अजमेर व भीलवाड़ा से आने वाले 23 परिवारों में से 15 के पास 2 से 3 बीघा कृषि भूमि है परन्तु वह सिंचाई के साधन नही होने तथा वर्षा पर निर्भरता के कारण आय का कोई अन्य साधन नहीं है। 8 परिवारों के पास गॉव में किसी प्रकार की कोई जमीन नहीं है वहॉ यह खेतीहर मजदूरी करते है। इन परिवारों के नरेगा के जॉब कार्ड भी नहीं है। इसी प्रकार अन्य 15 परिवारों में से 12 के पास जॉब कार्ड नहीं है। बिहार के 7 परिवारों के पास वहॉ जमीन तो हैं परन्तु खेती के साधनों के अभाव व बड़े जमीदारों द्वारा भूमि पर कब्जा करने के कारण उन्हें बिहार से राजस्थान आना पड़ा।

बच्चों की स्थिति

इस अध्ययन में 30 परिवारों के साथ रह रहे 78 बच्चों तथा 18 बच्चे जो कि सर्वे के समय परिवार के साथ नहीं थें, उनके बारे में सर्वे के दौरान जानकारी एकत्रित की गई। इस प्रकार इस अध्ययन में 96 बच्चों के बारे जानकारी ली गई।

आयु वर्ग

अध्ययन में शामिल 30 परिवारों के साथ 78 बच्चे रहते हैं जिनमें से 18 बच्चे 5 साल से कम आयु वर्ग 26 बच्चे 6 से 10 साल के, 21 बच्चे 11 से 14 साल के तथा 13 बच्चे 15 से 18 साल के है।
जिन 18 बच्चों को सर्वे में शामिल किया गया है उनमें से 5 बच्चे 10 साल से कम, 11 बच्चे 11 से 14 साल के तथा 2 बच्चे 15 साल से अधिक आयु वर्ग से हैं।

सारणी–3 बच्चों का आयु वर्ग

क्रम सं.	आयु वर्ग	संख्या	प्रतिशत
1	5 साल से कम	18	19%
2	6 से 10 साल तक	31	32%
3	10 से 14 साल तक	32	33%
4	14 से 18 साल तक	15	16%
	योग	**96**	**100%**

स्रोत–फिल्ड सर्वे

पांच साल से कम आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवार के साथ चौराहा व गलियों में भीख मांगने या उनके साथ रह घूमते रहते है। 6–10 साल के बच्चे मॉ–बाप के साथ मिल कर कचरा बीनने या भीख मागनें का काम करते है।

देखे सारणी–3

बच्चों की शिक्षा की स्थिति

अध्ययन में शामिल 96 बच्चों में 71 प्रतिशत बच्चे कभी स्कूल नहीं गयें। 15 बच्चों ने अपने गॉव में कक्षा–1 में प्रवेश लिया था जब तक मॉ–बाप गॉव में रहे तो स्कूल जाते थे जैसे ही मॉ–बाप जयपुर आये वह भी जयपुर आ गये। 5 बच्चे जो कि विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल एरिया नम्बर–6 के है स्कूल में नांमाकित हैं। इनमें से दो बच्चे कक्षा 3 में तथा 1–1 बच्चा कक्षा 4 व 5 में नामांकित है। दो बच्चे मदरसा में जाते है। 6 बच्चे 22 गौदाम पुलिया के नीचे एक स्थानीय सस्था '' विकल्प विकास केन्द्र' द्वारा संचालित शिक्षा केन्द्र पर पढ़ने जाते हैं।

देखे सारणी–4

सारणी–4 बच्चों का शिक्षा का स्तर

क्रम सं.	शिक्षा का स्तर	संख्या	प्रतिशत
1	कभी भी स्कूल नहीं गया	68	71%
2	पढ़ाई छोड़ दिया हैं	15	16%
3	1 से 5 वीं कक्षा	5	5%
4	मदरसा/शिक्षा केन्द्र	8	8%
	योग	**96**	**100%**

स्रोत–फिल्ड सर्वे

इन सभी बच्चों का स्कूल नहीं जाने के मुख्य कारण मॉ–बाप है। दूसरा जहॉ यह रह रहे है वहा स्कूल उपलब्ध नहीं है। मॉ–बाप मानते है कि बच्चों को अकेला नहीं छोड सकते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ाई छोडी है उनके भी यही कारण अध्ययन में निकल कर आये है।

यहां परिवार के साथ रहते है ?

जिन 18 बच्चों को अध्ययन में शामिल किया हैं उनमें से 15 बच्चे अपने परिवार के साथ जयपुर शहर में रहते है तीन बच्चे अपने रिश्तेदार के पास रहते है। शेष 30 परिवारों के 78 बच्चे अपने मॉ–बाप के साथ ही रहते है।

क्या कार्य करते हैं ?

जिन 18 बच्चों को अध्ययन में शामिल किया हैं इनमें से 8 बच्चे कचरा बीनने हुए, 6 बच्चे भीख मांगते हुए तथा 4 बच्चे बूट पोलिश करते हुए पाये गये। परिवार के साथ रहने वाले 3 बच्चे भी जूता पोलिश का काम करते है। 40 प्रतिशत (38 बच्चे) कुड़ा/प्लास्टिक बोतल उठाना आदि काम करते है। वहीं 32 प्रतिशत (31 बच्चे) सड़को व चौराहे पर भीख मांगते है। 21 प्रतिशत (20 बच्चे) जो कुछ भी नहीं करते है उनमें 18 बच्चे 5 साल से कम आयु के है परन्तु ये बच्चे अपने मॉ या बड़े भाई–बहन के साथ भीख तो मांगते ही है। दो बच्चे जो कि विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल एरिया नम्बर–6 के हैं स्कूल में पढ़ने जाते हैं इसलिये यह किसी भी प्रकार का काम नहीं करते हैं। इन दोनों बच्चों ने बताया कि वह स्कूल छुट्टी के

दिन इतवार या अन्य दिन में कभी– कभी कचरा/प्लास्टीक की बोतल बीनने चले जाते है। इससे उनके जेब खर्च निकल जाता है।

देखे सारणी–5

सारणी–5 बच्चों के द्वारा किये जाने वाले कार्य

क्रम सं.	काम के प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	कुछ नहीं कुछ नहीं	20	**21%**
2	जूता पोलिश	7	**7%**
3	कुड़ा/प्लास्टिक बोतल उठाना.	38	**40%**
4	भीख मांगना	31	**32%**
		96	**100%**

नशा करने की आदत हैं ?

अध्ययन में शामिल 96 बच्चों में 5 साल से छोटे 18 बच्चों को छोड कर सभी बच्चे जर्दा वाले गुटका या पान–मसाला खाते है। कुछ बच्चों के बारे में मालुम हुआ की वह सिगरेट व बिड़ी भी पीते है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

इस प्रारम्भिक अध्ययन के उपरान्त चौराहे व अन्य खुली जगहों पर रहने वाले परिवार व उनके बच्चे अपने संवैधानिक अधिकारों से भी वंचित हो रहे है। बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य पोषण सूरक्षा से वंचित हो रहें है। अध्ययन के अपरान्त जो निष्कर्ष निकलकर आये उसके आधार पर कुछ मूलभूत सुझाव जिससे इन बच्चों को इनके अधिकारों का लाभ दिलवाया जा सकता हैं।

निष्कर्ष

- पुलिया के नीचे या अन्य जगह पर रहने वाले परिवारों का मुख्य कारण उनके मूल स्थानों पर उन्हें उनके मूल अधिकारों से वंचित किया जाना है।
- सरकारी सुविधाएं मूल रूप से जिन लोगों को मिलनी चाहीए वह उससे वंचित रह रहे है।
- गरीब के नाम पर बनाई जाने वाली योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से वंचित वर्ग को नहीं मिल रहा है।
- समाज का प्रभावशाली वर्ग गरीब के अधिकारों को उन तक पहुॅचने में बाधाएं खड़ी करता है।
- शैक्षिक रूप पिछड़ापन इन लाभों से वंचित करने में अहम भुमिका निभा रहा है।
- परिवार की आर्थिक स्थिति का परिणाम बच्चे भुगत रहें है।
- विद्यालय, चिकित्सा संस्थान इन्हें वो सुविधाएं प्रदान नहीं कर पा रहा है जिसके यह हकदार है।

सुझाव

- इन स्थानों पर रहने वाले परिवारों को सरकारी प्रयासों से वापस इनके मूल स्थान पर स्थापित किया जाये।
- इन्हें वह सभी लाभ उपलब्ध करवाये जाये जिससे इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत हो
- विद्यालय में शिक्षकों द्वारा इन बच्चों के साथ अलग से काम करवाया जाये।
- स्वयं सेवी संस्थाऐं इस कार्य में आगे आकर इनका सहयोग करने का काम करें।
- विद्यालय में इन स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से विशेष कार्य किया जाये।
- इन परिवारों को महानरेगा जैसे आय सृजन के कार्यक्रमों से विशेष रूप से जोड़ा जाये।
- इन्द्रिरा आवास योजना के तहत इन लोगों के आवास बनाये जायें।